

भाग III
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)
प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें		हां, दिनांक 30/11/2023 को किया गया। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न हैं।
	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।		सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी साठ वनमंडल विदिशा के द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु परिक्षेत्र सिरोंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 515, पी.एफ. 517, एवं पी.एफ. 518 की कुल 70.880 हेक्टेयर वन भूमि, कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंज बासौदा, जिला विदिशा को उपयोग पर देने के लिए, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, व्यपवर्तन की अनुमति बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि 14/12/2023

स्थान:- भोपाल

नाम
सरकारी मोहर

(राजेश कुमार खरे)

वनसंरक्षक,

भोपाल वृत्त भोपाल